रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 12, 1984/चैत्र 23, 1906
No 116] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 1984/CHAITRA 23, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1984

सा.का.नि.284(अ).—विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का [illegible]) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की दिनांक 25 अगस्त, 1948 की अधिसूचना संख्या 12(11)एफ 1/18 में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह आदेश देती है कि भारतीय स्टेट बैंक, अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक, वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 12 अप्रैल, 1984 की

सार्वजनिक सूचना संख्या 18/आई.टी.सी.(पी.एन.)/84 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण आभूषण निर्यात संवर्धन तथा प्रतिपूर्ति योजना के प्रयोजनों के लिए भारत में सोने का आयात कर सकता है।

[सं. 1/62/83-सी आई ई (1)]

वी. के. दीक्षित, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 1984

G.S.R. 284(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 13 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance No. 12(11)-F. 1|48, dated the 25th August, 1948, the Central Government hereby orders that the State Bank of India, constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1965), may import into India any gold for the purposes of the Gold Jewellery Export Promotion and Replenishment Scheme, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce, in the Public Notice No. 18|ITC(PN)|84 dated the 12th April, 1984.

[No. 1|62|83-CIE(I)]

V. K. DIKSHIT, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984